

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रका नार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्डप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0 14(15)/एल.ए.-2009/एल.जे./10/

दिनांक: जनवरी, 2010

अधिसूचना

सं0फा0 14(15)/एल.ए.-2009/एल.जे./10/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की दिनांक 05 जनवरी, 2010 को मिली सहमति के प चात् दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकार्ति त किया जा रहा है:-

दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर (सं गोधन) अधिनियम, 2009
(2010 का दिल्ली अधिनियम 02)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 को यथा पारित)

(05 जनवरी, 2010)

दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम 1996 में सं गोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ. – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली मनोरंजन और बाज़ीकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. धारा 2 का संशोधन. – दिल्ली मनोरंजन और बाज़ीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्यांक 8) (जिसे इसमें इसके प चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में-

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जायेंगे अर्थात् :—

“(क) ‘ऐड्रेसेबुल सिस्टम’ का अर्थ हैं एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण (डिवाइस) अथवा किसी समेकित प्रणाली में प्रयुक्त एक से अधिक इलेक्ट्रोनिक उपकरण जिसके माध्यम से टेलीविजन संकेत और मूल्य अभिवर्धित सेवाएं एन्क्रिप्टिड अथवा अनएन्क्रिप्टिड रूप में प्रेषित की जा सकती हैं, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक की पसन्द और अनुरोध पर प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं में ग्राहक के परिसर में डिकोडिड किया जा सकेगा ;

(क क) ‘किसी मनोरंजन में प्रवेश’ के अंतर्गत किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश भी है, जिसमें मनोरंजन का आयोजन किया गया हो और केबल सेवा तथा डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा के जरिए केबल कनेक्शन सहित अथवा केबल कनेक्शन रहित मनोरंजन के मामले में, किसी ग्राहक को दिए गए प्रत्येक कनेक्शन को मनोरंजन के लिए प्रवेश समझा जायेगा;”;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

“(ग) “कर निर्धारक प्राधिकारी” का अर्थ है मनोरंजन और बाज़ी कर अधिकारी और इसके अंतर्गत अपर मनोरंजन और बाज़ी कर अधिकारी तथा सहायक मनोरंजन और बाज़ी कर अधिकारी भी हैं;”;

(ग) खंड (च) के पभचात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थातः—

“(च क) “प्रसारण कर्ता” का अर्थ है कोई व्यक्ति, व्यवित—समूह, सार्वजनिक या निगमित निकाय, प्रतिष्ठान अथवा कोई अन्य

संगठन या निकाय, जो कार्यक्रम सेवाएं प्रदान कर रहा हो और इसके अंतर्गत उसके प्राधिकृत वितरण अभिकरण भी हैं;”;

“(च ख) “केबल ऑपरेटर” का अर्थ है कोई व्यक्ति जो किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए केबल सेवाएं प्रदान कर रहा हो अथवा अन्य किसी पद्धति से सेवाओं पर नियंत्रण रख रहा हो अथवा किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंध और प्रचालन के लिए जिम्मेदार हो;”;

(घ) खंड (ज) के पभचात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ज क)“ डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा” का अर्थ है किसी उपग्रह प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी मध्यस्थ या अन्य किसी माध्यम के, ग्राहकों को सीधे मल्टी-चैनल टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों और समान विषय वस्तु का वितरण;”;

(ङ) खंड (झ) में, अंत में आने वाले शब्दों, “केबल सेवा के जरिए” के पभचात “तथा डायरेक्ट- टू-होम (डीटीएच) सेवा” भाब्द, कोष्ठक और संकेत अन्तःस्थापित किये जायेंगे;

(च) खंड (ट) के पभचात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ट क) “मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)” का अर्थ है कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सार्वजनिक अथवा निगमित निकाय, फर्म अथवा कोई अन्य संगठन या संस्था, जो किसी प्रसारणकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत अभिकरणों से टेलीविजन संकेत और मूल्य अभिवर्द्धित सेवाएं प्राप्त करती है और उन्हें सीधे अथवा एक या अधिक केबल ऑपरेटरों के माध्यम से वितरित करता है या कार्यक्रमों और पैकेजों के निर्माण और पारेशण सहित स्वयं की कार्यक्रम सेवा पारेशित करता है और इसके अन्तर्गत अपनी अधिकृत वितरण अभिकरणों चाहे किसी भी नाम से भी है;”;

(छ) खंड (ड) में उप-खंड (v) के पभचात निम्नलिखित उप-खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(vi) किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान, जो डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा के माध्यम से टेलीविजन संकेतों और मूल्य अभिवर्धित सेवाओं के वितरण के लिए किसी प्रकार के ऐडेसेबुल सिस्टम, जो किसी टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर प्रणाली को सीधे उपग्रह अथवा अन्य माध्यम से जोड़ता है, की सहायता से मनोरंजन के लिए अंशदान, अभिदान, प्रतिशठापन संस्थापना अथवा कनेक्शन शुल्क अथवा वसूल किए गए किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप में किया गया हो;”;

(ज) खंड (ण) में, उप-खंड (3) के पभचात निम्नलिखित उप-खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(iv) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4, और भारतीय बेतार तारयंत्र अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाले और इसके अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) के अधीन पंजीकृत या लाइसेंस-प्राप्त केबल टेलीविजन संकेत एवं मूल्य अभिवर्धित सेवा प्रदाता भी है;”;

(झ) खंड (त) के पभचात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(त क) “सेट टॉप बॉक्स” का अर्थ है एक ऐसा उपकरण, जो किसी आवासीय अथवा गैर-आवासीय स्थान पर किसी टेलीविजन सेट अथवा कम्प्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, जो टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट के लिए डिक्रिप्टेड टेलीविजन संकेत और रेडियो सेवाएं प्राप्त करता है, और जो दर्शकों को

मल्टी—चैनल टेलीविजन अथवा रेडियो कार्यक्रमों का लाभ उठाने में समर्थ बनाता है;

(त ख) “सेवा प्रदाता” के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7), भारतीय बेतार तार तंत्र अधिनियम, 1933 (1933 का 17) और किसी अन्य अधिनियम के अधीन टेलीविजन और रेडियो संकेत प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है और जो मनोरंजन प्रदान कर रहा है;”;

(ज) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड शामिल किया जायेगा, अर्थात् :—

“(ध) “ग्राहक” का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो मल्टी—सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट—टू—होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा से टेलीविजन नेटवर्क और मूल्य अभिवर्धित सेवाओं के संकेत उस स्थान पर प्राप्त कर रहा है, जिसका उल्लेख उसने सेवा प्रदाता के समक्ष किया हो, और वह किसी अन्य व्यक्ति को संकेत पारेशित न कर रहा हो;

स्पष्टीकरण I. — होटलों की स्थिति में, प्रत्येक कमरे या परिसर को, जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त किए जा रहे हों, एक ग्राहक समझा जायेगा;

स्पष्टीकरण II. — डायरेक्ट — टू — होम (डीटीएच) की स्थिति में, संकेत प्राप्त करने वाले प्रत्येक टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट को एक ग्राहक समझा जाएगा”।

3. धारा 3 का संशोधन. — मूल अधिनियम में धारा 3 में उप—धारा (2) में “अतिरिक्त मनोरंजन और बाज़ीकर अधिकारियों” के पश्चात तथा “निरीक्षकों” शब्द से पहले शब्द “सहायक मनोरंजन और बाज़ीकर अधिकारी” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।
4. धारा 7 का संशोधन. — मूल अधिनियम में, धारा 7 में —

(क) स्कन्ध शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्कन्ध शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“ केबल, वीडियो सेवा और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा पर कर—”

(ख) उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) के माध्यम से या ऐड्रेसेबल सिस्टम सहित या उससे रहित केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी भुगतानों पर मनोरंजन कर लगाया जायेगा और अदा किया जायेगा, किंतु धारा 6 के अधीन आने वाले मनोरंजन पर यह कर नहीं लगेगा, और इस कर की दर प्रत्येक वर्ष प्रति ग्राहक छह सौ रुपये से अनधिक होगी, जो सरकार समय—समय पर कर अधिसूचित करे, जिसे स्वत्वधारी द्वारा संग्रहित किया जायेगा और विहित रीति से सरकार को अदा किया जायेगा।”

5. धारा 8 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में “विडियो सिनेमा” शब्दों के पश्चात् तथा “होगा” शब्द से पहले “या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)” शब्दों तथा अंकों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

6. नई धारा 15 का अन्तःस्थापन. — मूल अधिनियम में, धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“15 क. — साक्षियों को बुलाने और दस्तावेज पे ठ कराने की भावित. — (1) निर्धारण, अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्राप्त करने या कोई दस्तावेज पे ठ कराने के लिए वे सब भावितयां

प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय को प्रदत्त हैं –

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने तथा उपस्थिति प्रवर्तित करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करने; और

(ख) निर्धारण कार्यवाहियों से संसक्त किसी दस्तावेज का पे । किया जाना बाध्य करने।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिश्ट प्राधिकारी को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए, प्रसारणकर्ता, केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट-टू-होम के स्वत्वधारी, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा ग्राहक से ऐसी जानकारी, विवरण और अभिलेख मंगाने की भावित होगी, जो वह अपेक्षित करे।"

7. धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन. – मूल अधिनियम में, धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"20. बुकमेकर के लिए लाइसेंस.– कोई व्यक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लाइसेंस शुल्क अदा करके निर्धारित प्रपत्र और रीति से आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किए बिना बुक-मेकर के रूप में कार्य नहीं करेगा।"

8. धारा 39 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन. – मूल अधिनियम में धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"39. कर की वसूली. – (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय कोई कर, ब्याज, भास्ति या अन्य राशि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सरकार को उपलब्ध वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

(2) यदि कर, ब्याज, भास्ति या अन्य देय राशि विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं कराई गई है, तो उसकी वसूली के लिए कलेक्टर को वसूली प्रमाणपत्र ऐसी रीति से जारी किया जायेगा जो विहित की गई हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय किसी राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए भू-राजस्व की बकाया की वसूली के विशय में, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का 8) के उपबंध, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विश्ट किसी उपबंध के होते हुए भी, सम्पूर्ण दिल्ली क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय किसी रकम की वसूली के प्रयोजन के लिए,—

(क) उप मनोरंजन कर और बाज़ी कर आयुक्त को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8) के अधीन उपायुक्त की सब भावितयां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा तथा उसके सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;

(ख) मनोरंजन कर अधिकारी और अपर मनोरंजन कर अधिकारी को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8) के अधीन राजस्व सहायक की सब भावितयां प्राप्त होंगी और वे उसके कर्तव्यों का पालन करेंगे;

(ग) सहायक मनोरंजन कर अधिकारी को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8)

के अधीन तहसीलदार की सब भावित्यां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा तथा वह उसके सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ।”

9. नई धारा 39क का अंतःस्थापन. – मूल अधिनियम में, धारा 39 के पभचात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

“39क वसूली का विशेष ढंग – (1) किसी विधि या संविदा में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी, आयुक्त, किसी समय अथवा समय—समय पर, लिखित सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर अग्रसारित की जायेगी :–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन बकाया कर, ब्याज, भास्ति अथवा कोई अन्य राशि देने के लिए दायी व्यक्ति, जिसे इस धारा मे कर दाता कहा गया है, को देय है या देय हो सकती है, अथवा

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास करदाता की ओर से अथवा उसके लेखे कर दाता का धन जमा है या बाद में हो सकता है, अपेक्षित कर सकेगा कि वह आयुक्त को उतनी राशि अदा करे जो करदाता की ओर बकाया कर, ब्याज, भास्ति या इस अधिनियम के अधीन बकाया किसी अन्य राशि के चुकता करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा पूरी राशि जमा करें, जब वह उस राशि के समान अथवा उससे कम हो ।

(2) आयुक्त ऐसे किसी नोटिस का संशोधन या प्रतिसंहरण कर सकेगा अथवा नोटिस के अनुपालन में किसी भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ा सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन नोटिस के अनुपालन में कोई भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने करदाता के प्राधिकार के अधीन भुगतान किया है, और आयुक्त द्वारा दी गई उसकी

रसीद उतनी राशि तक करदाता की ओर से देयता का वैध और पर्याप्त उन्मोचन समझी जायेगी, जितनी राशि का उल्लेख रसीद में होगा।

(4) इस धारा में निर्दिश्ट नोटिस प्राप्त होने के बाद करदाता के प्रति किसी देयता का उन्मोचन करने वाला कोई व्यक्ति उन्मोचित देयता की सीमा तक अथवा अदा न किए गए कर, भास्ति या ब्याज के लिए डीलर की देयता की सीमा तक आयुक्त के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन नोटिस भेजा जाता है आयुक्त के समाधान प्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि मांगी गई राशि अथवा उसका कोई हिस्सा कर दाता की ओर बकाया नहीं है अथवा कर दाता की ओर से या कर दाता का कोई धन उसके पास नहीं है, वहां इस धारा में अंतर्विश्ट कोई उपबंध ऐसे व्यक्ति को बकाया राशि अथवा उसका हिस्सा, जैसी भी स्थिति हो, आयुक्त को अदा करने की अपेक्षा करने वाला नहीं समझा जाएगा।

(6) उक्त व्यक्ति से आयुक्त को अदा की जाने के लिए अपेक्षित धन राशि, अथवा इस धारा के अधीन आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से देय राशि, का भुगतान यदि वह अदा नहीं हो पाती है, तो वह उक्त व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(7) आयुक्त उस न्यायालय में जिसकी अभिरक्षा में करदाता की रकम है, आवेदन कर सकेगा कि उसे ऐसी धनराटि । में से पूरी रकम दे दी जाए या यदि वह उसके कर ब्याज और भास्ति यदि कोई देय हो, से अधिक है तो जो ऐसे कर, ब्याज या भास्ति की राटि । के उन्मोचन के लिए पर्याप्त हो ।”

10. धारा 45 का संशोधन. – मूल अधिनियम में, धारा 45 की उपधारा (2) में, –

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

“(ग) जिन मनोरंजनों पर कर लगाना है उनको आयोजित करने के लिए आयुक्त को पूर्व जानकारी देने की पद्धति तथा किसी केबल टेलिविजन नेटवर्क या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) या विडियो सिनेमा हॉल के स्वामी द्वारा मनोरंजन आयोजित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की पद्धति;”;

(ख) खण्ड (घ) के प चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(घ क) धारा 7 में वर्णित मनोरंजनों की बाबत सरकार को मनोरंजन कर के भुगतान की रीति विहित करना;”;

(ग) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“(झ) बुक—मेकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रपत्र, रीति और लाइसेंस शुल्क विहित करना;”;

(घ) खण्ड (थ) के पभचात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“(थ क) धारा 45क के अधीन विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने की भार्ते विहित करना;”।

11. नई धारा 45क का अंतःस्थापन. — मूल अधिनियम में, धारा 45 के पभचात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“45क. विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश जारी करने संबंधी आयुक्त की भावितयां.— ”(1)यदि, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी स्तर पर, मनोरंजन कार्यक्रम के स्वरूप और मनोरंजन कार्यक्रम के स्वत्वधारी द्वारा किए गए लेन—देन की जटिलता और राजस्व के हित को देखते हुए, आयुक्त की यह राय हो कि विशेष लेखा परीक्षा अनिवार्य है, तो वह स्वत्वधारी को लिखित नोटिस के द्वारा निर्दे । दे सकेगा कि वह लेखा—बहियों सहित अपने रिकार्ड की परीक्षा किसी लेखाकार अथवा

लेखाकारों के पैनल या आयुक्त द्वारा इस बारे में अपनी ओर से नामित अन्य पे ोवर अथवा पे ोवरों के पैनल से कराएं और ऐसे परीक्षण की रिपोर्ट उस रूप में प्रस्तुत करें जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिश्ट किया गया हो, और उसे संबद्ध लेखाकार या लेखाकारों के पैनल अथवा पे ोवर या पे ोवरों के पैनल द्वारा सम्यकतः सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया हो तथा उसमें ऐसा ब्योरा दिया गया हो जो विहित किया जाए।

(2) उप—धारा (1) के अधीन प्रत्येक रिपोर्ट मनोरंजन कार्यक्रम के स्वत्वधारी द्वारा आयुक्त को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो :

परंतु आयुक्त, इस बारे में स्वत्वधारी की ओर से इस निमित किए गए आवेदन और वैध एवं उपयुक्त कारण के आधार पर ऐसी अवधि को उस सीमा तक बढ़ा सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

(3) उप—धारा (1) के अधीन अभिलेखों की परीक्षा और लेखा परीक्षा संबंधी खर्च और अनुषंगी खर्च (लेखाकार या लेखाकारों के पैनल या व्यवसायी अथवा व्यवसायियों के पैनल के पारिश्रमिक सहित) जिसका निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जायेगा, स्वत्वधारी द्वारा अदा किया जायेगा, और यह निर्धारण अंतिम होगा तथा ऐसे भुगतान में चूक होने की स्थिति में, तत्संबंधी राशि कर के रूप में और इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया राशि की वसूली के लिए उपबंधित रीति से स्वत्वधारी से वसूलनीय होगी।”“

(सविता राव)
संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

1. विधेयक का खंड 4 सरकार को, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में यथा वर्णित डाइरेक्ट-टू होम (डी.टी.एच.) या केबल टेलिविजन नेटवर्क के माध्यम से मनोरंजनों की बाबत सरकार को मनोरंजन कर का भुगतान करने की रीति विहित करने के लिए नियम बनाने की भावितयां प्रदत्त करता है।
2. विधेयक का खंड 7 सरकार को किसी बुक—मेकर द्वारा, अधिनियम की धारा 20 के अधीन यथा उपबंधित लाईसेंस भुल्क अदा करने के प चात, आयुक्त से लाईसेंस अभिप्राप्त करने के लिए प्रारूप और रीति विहित करने के लिए नियम बनाने की भावित प्रदत्त करता है।
3. वे विशय जिनके संबंध में नियम बनाये जाने हैं, प्र गासनिक विवरण और प्रक्रिया के विशय हैं और इस प्रकार विधायी भावित का प्रत्यायोजन प्रसामान्य स्वरूप का है।

वितीय ज्ञापन

वर्तमान में दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं. 8) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित किए जा रहे विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों जैसे सिनेमा, केबल टी.वी. अ व दौड़ और अन्य प्रकीर्ण मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए लागू होता है।

प्रस्तावित सं गोधन के द्वारा डी.टी.एच. सेवाएं कर परिधि में आ जाएंगी जिनसे साठ लाख रुपये प्रति मास के लगभग राजस्व आना संभाव्य है। बुक मेकरों पर लाईसेंसे भुल्क प्रभारित करने के लिए प्रस्तावित सं गोधन से प्रतिवर्ष अतिरिक्त राजस्व के रूप में 56 लाख रुपये की राटि आना संभाव्य है। इसके द्वारा कर प्रासन को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाने के लिए तथा कमियों को पूरा करके बेहतर कर अनुपालन के लिए अधिनियम के कुछ उपबंधों का सं गोधन प्रस्तावित है।

इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि में से सार भूत व्यय के जरिये केन्द्र सरकार से कोई अतिरिक्त वितीय सहायता अन्तर्वलित नहीं है।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

दिल्ली मनोरंजन ओर बाजी कर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं 8) केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कराधान के लिए उपबंध करता है। डाइरेक्ट-टू-होम सेवाएं वर्तमान उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आती। विगत तीन वर्षों में डी०टी०एच० का ग्राहक आधार तेजी से बढ़ा है और आगे भी बढ़ रहा है जिसके द्वारा उत्तम संसाधन सृजन का अवसर उपलब्ध होता है। इसलिए डाइरेक्ट-टू-होम को करतंत्र के अन्तर्गत लाने के लिये अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त निर्धारण प्राधिकारियों को, किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने, प्रवर्तन, उपस्थिति तथा शपथ द्वारा उसकी परीक्षा तथा किसी दस्तावेज प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सभी शक्तियाँ प्रदान करना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत बुक मेकर को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क की उगाही के लिए प्रावधान सम्मिलित करना प्रस्तावित है। दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में वसूली के विशेष तरीके के जो प्रावधान हैं, वे प्रावधान भी इस अधिनियम में शामिल किए जा रहे हैं ताकि वसूली कार्यवाहियों में गति आए।

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षा का जो प्रावधान है, वह प्रावधान भी इस अधिनियम में उचित जाँच के लिए प्रास्तावित किया गया है।

इस विधेयक द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना अभिष्ट है।

